सं. 05/01/2025 – रा. भा. (सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग

एनडीसीसी –II भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली – 110 001
दिनांक: 21 मार्च, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषयः निर्धारित (बैंचमार्क) दिव्यांगता वाले कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में राजभाषा विभाग के दिनांक 06 मार्च, 2025 के कार्यालय ज्ञापन सं. 05/01/2025 – रा. भा. (सेवा) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 तथा दिनांक 09 अक्तूबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/1/2020 – स्थापना (आरक्षण- II) के अनुसार निर्धारित (बैंचमार्क) दिव्यांगता वाले कार्मिकों को दिनांक 30.06.2016 से पदोन्नति में आरक्षण का नोशनल लाभ (Notional Benefit) प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त के संबंध में अवगत करवाया जाना है कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के निर्धारित (बैंचमार्क) दिव्यांगता वाले कार्मिकों को पदोन्नति देने के संबंध में अधिसंख्य (Supernumberary) पदों की संख्या का निर्धारण करने के लिए पात्र 08 कार्मिकों ने पदोन्नति का लाभ लेने के लिए संबंधित दस्तावेज सेवा अनुभाग, राजभाषा विभाग को उपलब्ध करवाए गए हैं।

3. अत: केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के निर्धारित (बैंचमार्क) दिव्यांगता वाले 08 कार्मिक जिन्होंने दस्तावेज जमा कर दिए हैं उनके अतिरिक्त अन्य पात्र कार्मिकों से अनुरोध है कि उपर्युक्त के संबंध में दिनांक 28 मार्च, 2025 तक अपने पूर्व के पदोन्नति के आदेश की प्रतिलिपि, दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा संबंधित दस्तावेज सेवा अनुभाग, राजभाषा विभाग को उपलब्ध करवाएं, ताकि इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा सके। इसके पश्चात और कोई अनुस्मारक जारी नहीं किया जाएगा, और प्राप्त दस्तावेजों को अंतिम रूप से गणना योग्य मान लिया जाएगा।

संलग्न: उपरोक्त के अनुसार

अनिल कुमार

(अनिल कुमार)
उप सचिव (सेवा)

सेवा में,
1. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के निर्धारित (बैंचमार्क) दिव्यांगता वाले कार्मिकों को राजभाषा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, एनआईसी। कृपया कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
3. गार्ड फाईल।